185/1

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : 1361/05/76/एक/2015–16 दिनांक : 6 जुलाई 2015

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–सहारनपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	1709000108060424	IFSC Code PUNB0170900	488.833

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	सहारनपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0निगम सहारनपुर	कमेला कालोनी में हाजी गोदाम से खान साहब की दुकान से तालिब के मकान से अफाक से अकबर हद्दी के के मकान अब्दुल शकुर बंगाली के मकान से इकराम के मकान से कल्लू के मकान से इनाम के दुकान से कमेला रोड से इरफान के मकान से शराफत के मकान इनाम इल्लाही के मकान से दिलशाद के मकान से शाहिद पहलवान के मकान से रियासत के मकान से जुबेर के मकान से इजहार बिहारी के मकान, हाजी रिहान के मकान से कुर्बान के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	86.234
2	सहारनपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0निगम सहारनपुर	नगर निगम सहारनपुर के झाल के पुल से कमरूदीन की दुकान से एकता कालोनी की पुलिया से कमेला कालोनी की पुलिया तक इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	51.198
3	सहारनपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0निगम सहारनपुर	नगर निगम सहारनपुर के न्यू ऐरा स्कूल से इनाम कालोनी तक, इनाम कालोनी से एकता कालोनी तक एवं एकता कालोनी से कमेला कालोनी तक इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	50.095
4	सहारनपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0निगम सहारनपुर	मोहल्ला इनाम कालोनी में इरफान परचूनिया से जहीर अहमद के मकान के मकान तक, शराफत से अब्दुल वहब, नईम मतवल्ली से नफीस, अयूब परचूनिया से अमीर अहमद, रामजान शकील के मकान से राजा के मकान तक, सराजूद्दीन से हुस्नूर, छोटा के मकान से फुरकान, अदर लिंक स्ट्रीट, मुर्तजा से खालिक वकील, अब्दुल सलाम से कोसार, यामीन मस्जिद से शकील के मकान, बिलाल के मकान से जहॉगीर के मकान तक, सत्तार के मकान से मीर अहमद एवं हाफिज मोमीन से इरशाद के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क नाली निर्माण कार्य।	51.527

185/2

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
5	सहारनपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पं0 नानौता	नगर पंचायत नानौता में हाजी अकबर कालोनी व ईदगाह से दिल्ली रोड पर अरबी मदरसा से अब्बास के घर तक, हाजी अकबर कुरैशी के घर से अमीर के घर तक, देवबन्द रोड से श्याम सिंह के घर तक, मांगा हाउस से देशराज के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	34.627
6	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	वर्धमान कालोनी पार्ट–2 में वालिया ब्रिक्स सप्लायर से सुखबीर वाली गली व अन्य लिंग गालियों में नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	18.052
7	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	वर्धमान कालोनी पार्ट–3 में चौधरी इलैक्ट्रानिक्स वाले से बसेश्वर सैनी के मकान व प्रवीण शर्मा के मकान तक व अन्य लिंग गलियों में नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	15.565
8	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	वर्धमान कालोनी पार्ट–4 में गोपाल के मकान से मदन लाल सैनी के मकान तक, तालिब की दुकान से राजू व मजाहिद के मकान तक व अन्य लिंग गलियों में नाली एवं इण्टरलाकिंग कार्य।	11.615
9	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निकाय अम्बेहटा	अम्बेहटा में डा0 प्रमोद के मकान से सुरेश के मकान तक व इसम के मकान से ब्रहमपाल के मकान तक, महेन्द्र के मकान तक (पार्ट–3) इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	16.121
10	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निकाय अम्बेहटा	अम्बेहटा में सोढ़ी के मकान से माता देवी के भवन तक (पार्ट–4) इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	10.797
11	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0निकाय नकुड	कौशिक मार्किट से रमेश आडती के मकान तक व अनिल सैनी हाउस (विजय कालोनी) वार्ड नं0 2 तक में इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	16.789
12	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	मौ0 रमेश नगर (पार्ट–01) में मुलकराज के मकान से ओमवती व हरीश कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	14.142
13	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	मौ0 रमेश नगर (पार्ट–02) में श्री राम शिव शक्ति मन्दिर से शिव आटा चक्की व राजबीर के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.371
14	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	मौ0 रमेश नगर (पार्ट–03) में मुस्कान कॉस्मैटिक से अशोक सैनी, तमन्ना हैयर ड्रैसर, कुसुम व रामलाल के मकान तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.295
15	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	मौ0 गणेश नगर (पार्ट–01) में देवी कार्नर स्टेशनरी से खेड़ा पीर तक इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.731
16	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	मौ0 गणेश नगर (पार्ट–02) में युनूस की दुकान से देवी सिंह, राजेश, अशोक के मकान व शिव मंदिर तक व अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	17.291
	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	मौ0 गणेश नगर (पार्ट–03) में हालीम के मकान से इसम सिंह व प्रीतम के मकान तक व अन्य लिंक गलियों में इण्टरलाकिंग टाईल्स सड़क व नाली निर्माण कार्य।	16.330

185/3

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	मौ0 प्रगति कालोनी (पार्ट–04) में आर0डी0 पब्लिक स्कूल से ओम प्रकाश व राजाराम के मकान तक, नीरज सैनी के मकान से अमित जैन फैक्ट्री तक व अमित जैन फैक्ट्री से विक्रम सैनी के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	10.992
	सहारनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0 निगम सहारनपुर	मौ0 प्रगति कालोनी (पार्ट–05) में आर0डी0 पब्लिक से भारत गैस गोदाम तक, भारत गैस गोदाम से कौशल के मकान तक व सेठ पाल के मकान से सतीश शर्मा के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	17.061
	योग				488.833

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड़ अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

1254

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक